11/2/2020	प्राप्त करने हेतु लिये पर्याप्त बल उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थनापत्र पेश होने पर प्रकरण में सुयोग्य बैंक के प्रतिनिधि को सुना तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। इससे पाया जाता है कि अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा उक्त बैंक से बन्धक सम्पित्त रखकर, ऋण लिया है। अप्रार्थीगण ऋण राशि जमा कराने में असफल रहा है। प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी(अप्रार्थीगण) को दिनांक 19.05.2018 को धारा, 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है। बंधक सम्पत्तियॉं इसी जिले से संबंधित है। अतः The Securitisation and Reconstuction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा–14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि बंधक सम्पत्ति के स्वामित्व एवं कब्जे को लेकर प्रकरण किसी भी न्यायालय में जेरकार एवं स्थगन नहीं है। यदि विवाद है कि तो बैंक इस आदेश की कियान्विति नहीं कर, विवाद का संक्षिप्त विवरण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करायेंगे। यदि विवाद नहीं है तो उक्तानुसार प्रार्थी बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गयी सम्पत्ति– **मैसर्स न्यू सुभाष बाल विद्या मंदिर संस्थान की ख0नं0 93/352 ग्राम बलदेवपुरा (अटरू) जिला–बारां क्षैत्रफल 1.64 है0** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक जर्ये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, बारां तथा प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। आदेश पृथक से जारी किया जाकर, पत्रावली में संलग्न किया गया। प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर, फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील अभिलेख भण्डार में प्रवीष्ठ हो। जिला मजिस्ट्रेट बारां

आयालय जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.11.25 10:55:20 IST
Reason: SelfAttested